सूचना का अधिकार मामला/समयबद्ध
अति तत्काल
स्पीड पोस्ट

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय / Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066
www.epfiindia.gov.in , www.epfindia.nic.in

संख्या मा.सं.प्र./ सूचना का अधिकार/ 686/2011/883 दिनांक 27/9/11 30 SEP 2011

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत श्री/श्रीमती शाकील अहमद कुरैशी द्वारा उनके लिखित आवेदन दिनांक 8/8/11 के द्वारा सूचना हेतु अनुरोध किया गया है।

2. चूंकि, मुझे उक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाने पर अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर उस पर विचार कर सूचना देना आवश्यक है।

3. एवं चूंकि अधिनियम की धारा 5(4) में प्रावधान है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, यदि उचित समझे, अपने कर्तव्य के उचित निर्वाह हेतु किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकता है। उप पैरा (5) में आगे यह प्रावधान भी है कि जिस अधिकारी से सहायता मांगी गई है वह केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को पूरी सहायता देगा। यदि अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के कारण शिकायत भेज दी जाती है, तो ऐसे अन्य अधिकारी को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी माना जाएगा एवं वह अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दण्ड का भागी हो सकता है। आगे, उपबन्धों का उल्लंघन होने अथवा दस्तावेज/सूचना उपलब्ध न कराने पर ऐसा अधिकारी अधिनियम की धारा 20 (1) के अन्तर्गत देरी के लिए, 250/-रूपये प्रतिदिन की दर से दण्ड का भागी होगा जो कि 25000/-रूपये तक बढ़ सकता है।

4. एवं चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) में प्रावधान है कि:

"जब सूचना के लिए जन अधिकारी को आवेदन किया गया हो:-"

(i) जो किसी अन्य जन अधिकारी के पास उपलब्ध हो ; अथवा

(ii) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य जन प्राधिकारी के कार्यों से संबंध रखती हो।

जिस जन प्राधिकारी को ऐसा आवेदन किया गया हो, वह आवेदन को अथवा इसके किसी भाग को, जैसा उचित समझे, उस अन्य अधिकारी के पास स्थानांतरित करेगा एंव आवेदन कर्त्ता को ऐसे स्थानांतरण की तत्काल सूचना देगा।

चूंकि आवेदन की जाँच से मैंने पाया है कि आवेदनकर्ता ने निम्नलिखित मदों पर सूचना मांगी है:

1.

2.

3. क्र सं० 5

4.

आवेदन की फोटोकापी
पत्र संख्या शून्य
____
दिनांक 8/8/11 के साथ
संलग्न है

जो सभी क्षेत्रों के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारिओं/________ के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से संबंधित एंव उपलब्ध हैं। मैं उक्त अधिनियम की धारा 5(4) का उपयोग करते हुए आवेदनकर्ता द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत गई सूचना/दस्तावेज इस प्रति की प्राप्ति के 07 दिन के भीतर, अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र को स्थानांतरित करता हूँ । कृपया आप नोट करें की मांगी गई सूचना/दस्तावेज निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध कराने में हुई देरी के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दाण्डिक उपबन्ध है ।

कृपया इसे **अति तत्काल** समझे ।

(पी.के. अग्रवाल)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
(मा.सं.प्र.)

सेवा में,

1. क्षेत्र के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी________।
2. सभी क्षेत्रो के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी वैब प्रशासक, एन.डी.सी., इस पत्र की प्रतिलिपि एवं दिनांक 8/8/2011 का आवेदन पत्र संगठन की वेबसाईट पर डालने के लिए।
3. श्री/श्रीमति________।
________।
________।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
(मा.सं.प्र.)

12

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND STAFF UNION

(REGISTRATION NO. 122)
(Affiliated with All India E.P.F. Staff Federation, New Delhi) (Regn. No. 748)

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

CHHATTISGARH, RAIPUR- 492 004

PRESIDENT	VICE PRESIDENT	GEN. SECRETARY
SHIV SHANKAR JAGAT	**SHRIKANT KUMAR**	**S. A. QURAISHI**
9424230460		**9300849994**

JOINT SECRETARY
MANISH SHARMA
TREASURER
RAJEEV RANJAN
EXECUTIVE MEMBERS
RAVIKANT RATHOR
MANISH AGRAWAL
SHAAHID KHAN
RAJESH CHOUDHARY
PRABHANJAN BEHRA
DILIP TRIPATHY
N. VISHWAKARMA

No.EPFSU/RPR/CG/ Date : 08.07-2011

प्रति,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केन्द्रीय कार्यालय, 14 भिकाजी कामा प्लेस,
हुडको विशाला, नई दिल्ली-110066

विषय- सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने बाबत्।

महोदय,

उक्त विषयांतर्गत मुझे निम्नलिखित सूचनाएँ उपलब्ध कराने की कृपा करें :-

1. अपने विभाग के सभी कार्यालयों में किए जा रहे कार्य का नार्म्स कब निर्धारित किया गया है एवं उसमें कितने बार संशोधन किया गया है?
2. क्या कंप्यूटरीकरण होने के पश्चात नया नार्म्स निर्धारित किया गया है अथवा पुराने नार्म्स के अनुसार ही कार्य संपन्न किया जा रहा है ?
3. क्या नया नार्म्स निर्धारण के लिए कोई कमेटी गठित की गई है? यदि गठित की गई है , तो नार्म्स निर्धारण कार्य को अंतिम रूप देने के लिए क्या समय सीमा तय की गई है?
4. नया नार्म्स नहीं बनने तक पुराने नॉर्म्स पूरी तरह मान्य है अथवा नहीं?
5. केन्द्रीय कार्यालय में पूरे भारतवर्ष के अपने विभाग के कार्यालयों को कितने लेखों के लिए कितने स्टाफ स्वीकृत किए गए है एवं वर्तमान में वास्तव में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या है? उसकी सूची निम्न रूप में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय का नाम	लेखों की कुल संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	वास्तव में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	कम/अधिक

6. क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से केंन्द्रीय कार्यालय को अग्रेषित रिपोर्ट के अनुसार इस कार्यालय में निम्नलिखित कर्मचारियों की कमी की सूचना कई बार प्रेषित की जा चुकी है जिसके अनुसार इस कार्यालय में निम्नलिखित कर्मचारियों की कमी दर्शायी गई है

पी.ए.	01
आंशुलिपिक	01
एस.एस.ए.	12
एम.टी.ए.	02
सफाईवाला	01

केंद्रीय कार्यालय द्वारा उक्त पदों पर पदस्थापना के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है एवं रिक्तियां कब तक भर दी जाएंगी?

7. जैसा कि केंद्रीय कार्यालय को विदित है कि आर.टी.आई., पीजीएचएस, न्यायालीन प्रकरण, इपीएफआईजीएमएस, सीपीग्राम, इ-मेल के माध्यम से प्राप्त शिकायतें इत्यादि की संख्या काफी बढ़ गई है। इसे वर्कलोड में शामिल करने के लिए केन्द्रीय कार्यालय द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है या नहीं।

क्रमशः 2

क्र.सं. 8 (आवर्ती)

13

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND STAFF UNION

(REGISTRATION NO. 122)

(Affiliated with All India E.P.F. Staff Federation, New Delhi) (Regn. No. 748)

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

CHHATTISGARH, RAIPUR- 492 004

PRESIDENT	VICE PRESIDENT	GEN. SECRETARY
SHIV SHANKAR JAGAT	SHRIKANT KUMAR	S. A. QURAISHI
9424230460		9300849994

JOINT SECRETARY

MANISH SHARMA

TREASURER

RAJEEV RANJAN

EXECUTIVE MEMBERS

RAVIKANT RATHOR

MANISH AGRAWAL

SHAAHID KHAN

RAJESH CHOUDHARY

PRABHANJAN BEHRA

DILIP TRIPATHY

N. VISHWAKARMA

No.EPFSU/RPR/CG/ Date : 12.09-2011

प्रति,

श्रीमान एस.आर. जोशी
अपीलीय अधिकारी/अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भविष्य निधि भवन,
केन्द्रीय कार्यालय, 14 भिकाजी कामा प्लेस,
हुडको विशाला, नई दिल्ली-110066

विषय- सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान न करने के कारण अपील करने बाबत्।

संदर्भ 1. हमारा आवेदन क्रमांक EPFSU/RPR/CG दिनांक 08.08-2011
2. केन्द्रीय कार्यालय का पत्र क्रमांक एच.आर.एम.-8/V/61(33) 07/633 दिनांक 06.09.2011

महोदय,

1. हमारे आवेदन(छायाप्रति पुनः संलग्न) में कुल 11 बिंदुओं पर जानकारी चाही गई थी परंतु हमें सिर्फ बिन्दु क्रमांक 9 की अपूर्ण जानकारी प्रदान की गई|शेष 10 बिंदुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही यह बताया गया कि इनका जवाब क्यों नहीं दिया गया।

2. बिन्दु क्रमांक 9 में दी गई जानकारी में जैसा कि यह बताया गया है(पत्र की छायाप्रति संलग्न) कि नए कार्यालय खोले जाने संबंधी मानकों की पुनः जाँच की जा रही है एवं संशोधित मानकों पर निर्णय के बाद ही नए कार्यालय खोले जाएँगे। इस संबंध में कृपया यह जानकारी हमें उपलब्ध कराने की कृपा करें कि बिना मानकों पर अंतिम निर्णय लिए हाल ही में कर्णाटक राज्य में दो नए कार्यालय किन मानकों के आधार पर खोल दिए गए? उक्त तथ्य को देखते हुए यह उल्लेखनीय है कि इस संबंध में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः भ्रामक, आधारहीन एवं असत्य प्रतीत होता है।

3. यदि संशोधित मानक तय किया जा चुका है तो कृपया उसकी सूचना व सत्यापित प्रति हमें भी उपलब्ध कराएँ।

4. यदि संशोधित मानकों के बिना कार्यालय खोला गया है तो छत्तीसगढ़ राज्य सहित अन्य राज्यों में भी अनुरोधानुसार कार्यालय खोले जाने के संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी प्रदान करें।

5. कृपया यह भी जानकारी प्रदान करें कि क्या सभी राज्यों में नए कार्यालय खोलने के मानकों में भिन्नता है। यदि हाँ तो संपूर्ण ब्योरा/नियमावली उपलब्ध कराएँ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

Quraishi 12-09-2011

(शफीक अहमद कुरैशी)
महामंत्री, ई.पी.एफ. स्टॉफ यूनियन,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

सी.भ.नि.आ. (एच.आर.एम.) सचिवालय
डायरी सं. 631
दिनांक 23/9/11
RTI

अपर के.भ.नि. आयुक्त (मा.सं.) सचिवालय
Additional C.P.F.C. (HR) Secretariat
डायरी सं. 3627
दिनांक 22-9-11

RTI

823
26/9/11

11

8. केन्द्रीय कार्यालय के पत्र क्र.HRD/2(6)84/EPF Staff(CCA) Rules 1971/29268 दिनांक 19.08.2010 के अनुसार 4200 रू. ग्रेड पे प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को ग्रुप बी में शामिल किया गया है इस संबंध में कृपया निम्नलिखित स्पष्ट करने का कष्ट करें:-

अ. वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा सहायकों एवं अनुभाग प्रभारी को ग्रुप बी मे शामिल किया गया है या नहीं

ब. ग्रुप बी में शामिल किए जाने वाले कर्मचारियों को पूर्व में पदस्थ ग्रुप बी अधिकारीयों के समान सारी सुविधाएँ दी जाएगी या नहीं।

स. ग्रुप बी में शामिल किए जाने वाले कर्मचारियों के जी.आइ.एस. की कटौती 30 रू. प्रतिमाह होगी या 60 रू.

9. उप क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर खोले जाने के लिए इस कार्यालय से प्रस्ताव कई बार केन्द्रीय कार्यालय को भेजा जा चुका है लेकिन आज दिनांक तक कार्यालय खोले जाने की प्रगति की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अभी इस कार्य में क्या प्रगति है अथवा कब तक उप क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर खोला जाएगा इसकी सूचना देने का कष्ट करें

10. इस कार्यालय में अनुभाग प्रभारी का 16 पद स्वीकृत किया गया है एवं लेखा अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी का 13 पद स्वीकृत है यह किस आधार पर निर्धारित किया गया है कृपया जानकारी देने का कष्ट करें।

11. त्योहार अग्रिम की राशि रु.3000/- से बढ़ाकर(25 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ) रु.3750/-की गई है या नहीं? यदि की गई है तो कब से लागू है? इस संबंध में कोई परिपत्र या अधिसूचना जारी की गई हो तो उसकी छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रू.10/- का पोस्टल आर्डर क्रमांक............... दिनांक .... संलग्न है।

संलग्न : यथोप्ररि।

भवदीय,
Qureshi 08.08.11

(शफीक अहमद कुरैशी)
महामंत्री, ई.पी.एफ. स्टॉफ यूनियन,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रतिलिपि:-

महामंत्री
सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय/उप लेखा कार्यालय

--------------------------------- सूचनार्थ।

Qureshi 08.08.2011

(शफीक अहमद कुरैशी)
महामंत्री, ई.पी.एफ. स्टॉफ यूनियन,
रायपुर (छत्तीसगढ़)